

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
वृहस्पतिवार, 27 अप्रैल, 2006/वैशाख 05, 1928(शक)

संख्या- 167

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नंबर-8/9, तिहाड़, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, श्री रमेश विधुड़ी एवं श्री विजय जौली को डीडी-11-ए के अंतर्गत दिनांक 21.4.2006 को तिहाड़ जेल में बन्द किया गया था।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Thursday 27th April 2006/05 Baisakh 1928

No. 167

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Supdt. Central Jail No.8/9, Tihar, Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Ramesh Bidhuri and Shri Vijay Jolly, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained in Central Jail no.8/9 in case D.D. No.11-A on 21.4.006

Siddharath Rao
Secretary